अनुदान संख्या–14 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–2515001010103–20

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/शा0/169/2016–1/188/2015 लखनऊः दिनांक 19 फरवरी, 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2015–16 अनुदान संख्या–14 आयोजनागत मद में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत गंगा किनारे स्थित ग्राम पंचायतों हेतु नये फंडिंग पैटर्न के अनुसार राज्यांश मद में 15 प्रतिशत की अतिरिक्त धनराशि रू0–2358.65 लाख की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–05/2016/271/33–3–2016–100(16)/2015 दिनांक 08 फरवरी, 2016 तथा संशोधित शासनादेश संख्या–7/2016/397/33–3–2016–100(16)/2015 दिनांक 17 फरवरी, 2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत शासनादेश दिनांक 19.01.2016 के अन्तर्गत गंगा किनारे स्थित ग्राम पंचायतों हेतु नये फंडिंग पैटर्न के अनुसार केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत कर दिया गया है। उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–14 आयोजनागत मद में आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से फंडिंग पैटर्न संशोधित हो जाने के कारण राज्यांश मद में 15 प्रतिशत की अतिरिक्त धनराशि रू0–2358.65 लाख (रूपया तेइस करोड़ अट्ठावन लाख पैंसठ हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1– आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप सं0–बी–2/2015/बी–1–925/दस–2015–231/2015 दिनांक 30मार्च, 2015 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्तानुसार आवंटित धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह आवंटित की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त आवंटित की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापन हेतु लेखा एवं बजट अनुभाग को उपलब्ध करायी जाय।

5– भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त अवमुक्त धनराशि को स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा जवाहर भवन, लखनऊ में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) गंगा एक्शन प्लान के नाम से खोले गये खाता संख्या–35111378060, आई0एफ0एस0सी0 कोड एसबीआईएन 0006144 में जमा किया जायेगा।

6– भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन के बिन्दु–13 के अनुसार भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रानिक्स स्थानान्तरण/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सीधे अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि स्टेट स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) गंगा एक्शन प्लान के खाते में जमा धनराशि को सम्बन्धित खाते में तत्काल सम्बन्धित जनपदों को अवमुक्त किया जायेगा, के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा मैचिंग राज्यांश मद की धनराशि स्टेट स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) गंगा एक्शन प्लान के खाते में अवमुक्त करने के उपरान्त सम्बन्धित खाते से जनपदों तत्काल अवमुक्त की जायेगी।

7- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या- 14 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायती राज-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण (जिला योजना) (के.75/रा.25-के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायगा।

8- शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008- मित-1/2007 दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

9- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0-4 पर बजट एवं लेखा अनुभाग को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

10- उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

11- उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगे।

12- धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-112 पर अंकित है।

संलग्नः-उक्तानुसार।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः1/शा0/169/1/2016 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद-211001.
3- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- उप निदेशक(पं0)/योजना प्रभारी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस निर्देश के प्रेषित कि उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 08.02.2016 व संशोधित शासनादेश दिनांक 17.02.2016 में दिये गये निर्देशानुसार उक्त योजनान्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को राज्यांश की वितरित की जाने वाली धनराशि की जनपदवार फॉट की एक प्रति लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही उक्त शासनादेश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही करें।
7- एस0पी0एम0यू0 सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

SBM(G) 14, 93 & 91 Allotment 2015-16

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016
आवंटन दिनांक-19/02/2016

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:- 005-188-2015
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)

101 - पंचायती राज
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
03 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	235865000 5744157600	235865000 5744157600
	योग	वर्तमान प्रगामी	235865000 5744157600	235865000 5744157600

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तेइस करोड़ अट्ठावन लाख पैंसठ हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पाँच अरब चौहत्तर करोड़ इक्तालीस लाख सत्तावन हजार छ: सौ

(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी